6/10/23 पत्रावली पेश हुई।
आज [illegible] कार्यों
में व्यस्त [illegible] होकर
पत्रावली [illegible] 29/11/23 को पेश हो।

29/11/23 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण के पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन किया गया। वादीगण/प्रार्थीगण के हकों का निर्धारण वाद पत्र के तय होना है। वर्तमान रेकर्ड स्थलेशान को स्थगन से पाबन्द रखा जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दि० 22/10/21 व संशोधित निषेधाज्ञा दिनांक 30/04/23 निरस्त की जाकर प्रार्थीगण का अवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सायन कलक्टर, गुढ़ामालानी